क्रम संख्या व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-02-26	पत्रावली पेश हुई। दोनो प़क्षो के अधिवक्ता उपस्थित। दोनो प़क्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि मौजा मोकलसर तहसील सिवाना में प्रार्थी का खसरा संख्या 2377/726 अवस्थित है, प्रार्थी उक्त विवादित भूमि का रेकर्डेड खातेदार है, विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से विप्रार्थीगण माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है, प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है।लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि का नेखमबंदी किये जाने का आदेश फरमाया जावे। विप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मोकलसर मे अवस्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 325 के बदिशा पूर्व में आई हुई है,जबकि प्रार्थी की भूमि उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 325 के बदिशा पश्चिम में अवस्थित हैं, विप्रार्थीगण प्रार्थी के सेढा पडौसी नहीं है, विप्रार्थीगण प्रार्थी के सेढा पडौसी नही होने से प्रार्थी के खातेदारी भूमि के माठो को खुर्द बुर्द करने प्रश्न ही नही पैदा होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विप्रार्थी संख्या 1 से 4 को गलत तौर से पक्षकार बनाया गया है, लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे। हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया, प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2377/726 रकबा 0.5099 हैक्टेयर की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 325 में आवप्त होने के पश्चात शेष रकबा 0.1442 का नवीन खसरा संख्या 314 बना जो वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 325 के पश्चिम की ओर स्थित है तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के खातेदारी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 325 के पूर्व की तरफ स्थित है अर्थात प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के सेढा पडौसी नहीं है। प्रार्थी विवादित खसरा संख्या 2377/726 (नवीन खसरा संख्या 314) का रेकर्डेड खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है जो न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना की खसरा संख्या 2377/726 (नवीन खसरा संख्या 314) रकबा 0.1442 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 2000/– रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करे। आवश्यकता	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:42:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम जो इस ... की तामील में जा... हुए
	होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे।तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	

सेवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:42:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक / 2026 / 3227 दिनांक : 02.02.2026

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
कस्तुराराम पुत्र पदमाराम		उमेश कुमार पुत्र भंवरलाल वगैरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं.171 / 2023 दिनांक :– 02.02.2026

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना की खसरा संख्या खसरा संख्या 2377 / 726 (नवीन खसरा संख्या 314) रकबा 0.1442 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 2000 / –प्रार्थी मौके पर अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक / 2026 / 3228 दिनांक : 02.02.2026

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी मोकलसर तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी कस्तुराराम पुत्र पदमाराम जाति बावरी निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:42:21 IST
Reason: SelfAttested